भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **708** जिसका उत्तर

शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति

† 708. श्री दुष्यंत सिंह :
डॉ. रानी श्रीकुमार :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय शिपयार्डों के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति की प्रभावकारिता और उपयोग का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय शिपयार्डों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले किन्हीं तकनीकी कारणों जैसे पोत-निर्माण हेतु सामग्री के अधिक आयात, पोत-निर्माण प्रक्रियाओं में कम स्वचालन आदि की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में घरेलू पोत-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): पोतनिर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पोतनिर्माण आदेशों के लिए भारतीय शिपयार्डों को विदेशी शिपयार्डों के समान अवसर प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य 2016 से 2026 के बीच हस्ताक्षरित पोत निर्माण आदेशों के लिए भारत में पोतनिर्माण उद्योग को पुनर्जीवन प्रदान करना और प्रोत्साहन देना है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक और निजी शिपयार्डों जैसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, चौगले शिपयार्ड, मझगांव शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आदि ने विभिन्न घरेलू और विदेशी पोतनिर्माण आदेश हासिल किए हैं, जिससे उन्हें एसबीएफएपी के माध्यम से वित्तीय सहायता की उपलब्धता का लाभ प्राप्त होगा। योजना की शुरुआत से अब तक एसबीएफएपी योजना में 39 शिपयार्डों द्वारा लगभग 10,500 करोड़ रु. के कुल मूल्य के साथ 313 जलयानों के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें घरेलू और निर्यात आदेश, दोनों शामिल हैं। घरेलू और अंतराष्ट्रीय पोत स्वामियों को 135 जलयानों की सुपुर्दगी करने के लिए इन शिपयार्डों को कुल 337 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग): वाणिज्यिक पोतनिर्माण के लिए घटी हुई घरेलू मांग, वित्तपोषण की उच्च लागत, अपेक्षाकृत छोटा आनुषंगिक उद्योग, कम स्वचालन आदि भारतीय शिपयार्डों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण हैं।

देश में घरेलू पोतनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का विवरण निम्नानुसार है:-

(i) आधुनिक प्रौद्योगिकियों मशीनरी को देखते हुए घरेलू पोतनिर्माण को बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने निम्न को शामिल करने के लिए एसबीएफएपी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है:

क) पवनचक्की स्थापना करने वाले जलयानों और परिष्कृत ड्रेजरों का निर्माण विशेषीकृत जलयानों के रूप में किया जाना, जो कि गैर-विशेषीकृत जलयानों के लिए निर्धारित 40 करोड़ की ऊपरी सीमा से अधिक की कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

ख) मैथनॉल/एमोनिया/हाइड्रोजन ईंधन सेल्स जैसे हरित ईंधनों से मुख्य प्रणोदन प्राप्त करने वाले जलयानों के लिए 30% की वित्तीय सहायता।

ग) प्रणोदन के वैद्युत साधनों वाले जलयानों या हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली से लैस जलयानों के लिए 20% की वित्तीय सहायता।

(ii) घरेलू पोतनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, पोतनिर्माण और पोत स्वामित्व से संबंधित सरकारी कंपनियों को भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडियया को वरीयता) आदेश, 2017 के अनुरूप स्थानीय सामग्री सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। इस आदेश के अनुसार 200 करोड़ रु. से कम मूल्य के पोतों की खरीद भारतीय शिपयार्डों से करना आवश्यक है।

(iii) भारत सरकार ने 13 अप्रैल, 2016 की राजपत्र अधिसूना सं.112 के माध्यम से शिपयार्डों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है। इनमें "शिपयार्डों" को पोतनिर्माण/मरम्मत/भंजन गतिविधियां संचालित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं वाले एक फ्लोटिंग अथवा जमीनी सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है। अवसंरचना का दर्जा मिलने से भारतीय शिपयार्ड पूंजी के सस्ते दीर्घकालीन स्रोत हासिल करने के पात्र होंगे और ये शिपयार्ड अपने लागत नुकसान कम करने तथा क्षमता विस्तार में निवेश करने के लिए सक्षम होंगे, जिससे भारतीय पोत निर्माण उद्योग को बल मिलेगा।

(iv) सरकार ने नवंबर, 2021 में भारतीय शिपयार्डों में बनने वाले टगों की खरीद के लिए महापत्तनों द्वारा उपयोग करने हेतु पांच प्रकार के मानक टग डिजाइन जारी किए हैं।

(v) सरकारी विभागों या एजेंसियों, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं, द्वारा सरकारी उद्देश्य से या स्वयं के उपयोग के लिए काम में लाए जाने वाले किसी भी प्रकार के जलयान(नों) की खरीद के लिए जारी किए जाने वाले नए पोतनिर्माण आदेशों हेतु मूल्यांकन और निविदा प्रदान करने के लिए सरकार ने 19.05.2016 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जलयान(नों) की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया के मार्ग से जब भी खरीद शुरू की जाती है, विदेशी शिपयार्ड द्वारा प्रस्तावित किए गए आकलित न्यूनतम मूल्य से

बराबरी करने में सक्षम करने हेतु अर्हताप्राप्त भारतीय शिपयार्ड को ''पहले अस्वीकार करने का अधिकार'' होगा, जिसका उद्देश्य भारतीय शिपयार्डों में पोतनिर्माण गतिविधियां को बढ़ाना है।

(vi) घरेलू पोतनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.09.2023 को सभी प्रकार की निविदाओं में पालन करने के लिए पहले अस्वीकार करने का अधिकार (आरओएफआर) का पदक्रम संशोधित किया गया है। आरओएफआर का संशोधित पदक्रम निम्नलिखित है:

(1) भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व
(2) भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व
(3) विदेशी निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व
(4) विदेशी निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व
(5) भारतीय निर्मित, विदेशी ध्वजांकित और विदेशी स्वामित्व

*****